

पत्रावली सं०.....२१/२०२१.....सरकार बनाम श्री प्रीतम सिंह जलवा सिद्धि ३१२

आज्ञा का क्रिनांक	आज्ञा या कार्यवाही	पत्र क्रमांक व दिनांक जो इस आज्ञा के पालनार्थ प्रेषित किया
5/02/2021	<p>आज यह पत्रावली प्रस्तुत हुई। अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित है।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का द्वारा यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि श्री प्रीतम सिंह जलवा सिद्धि ३१२ द्वारा फसल खरी/खरीफ सन्वत्/सन् २०२० में गांव/चक नं० ५-१५५५५ के ग्रुप नं० ५-२८७ में बीघा सिंचित व ६-३२५ असिंचित कुल ६-३२५ बीघा भूमि आराजी राज में अतिक्रमण कर अवैध कारत की है।</p> <p>अप्रार्थी के विरुद्ध राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम १९५४ की धारा २२ के अन्तर्गत मामला दर्ज रजिस्टर कर उसे नोटिस दिया गया। अप्रार्थी स्वयं बावजूद तामील को उपस्थित नहीं अतः उसके विरुद्ध एक फौजिय कार्यवाही की जाती है।</p> <p>वह राजकीय भूमि पर अवैध कारत करने से अतिक्रमी सिद्ध है अतः अप्रार्थी को प्ररनगत भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा उसे उक्त भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से कारत की गई फसल कुर्क करके बहक राज्य सरकार जब्त करने के आदेश दिये जाते हैं तथा अप्रार्थी पर माल गुजारी व मालकाना की गुणा पेनल्टी राशि रु० २५३० अखरे रु० दो हजार पचास के लिये लिखा जावे।</p> <p>शु अमिलेख निरीक्षक हल्का को कुर्क शुद्धा फसल को निलाय करने हेतु लिखा जावे टी० आर० ए० को पेनल्टी की मांग क्लायत कराई जावे पटवारी हल्का पेनल्टी राशि की वसूली करने एवं अप्रार्थी को प्ररनगत भूमि से बेदखल कर कब्जा बहक राज्य सरकार हेतु लिखा जावे।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जावे।</p>	<p>उप तहसीलदार तहसीलदार (पंचस) जिला प्रशासन रायसिंहगिर</p>

२०२०-२०२१
पृष्ठ सं० २११
८
२५३०६